

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला शिवपुरी म0प्र0


[31/3/2016]


प0

विभिन्न योजनाओं में किसानों को दिया जाने वाला अनुदान की जानकारी

क्र	नाम योजना	घटक	अनुदान	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	सूक्ष्म पोषक तत्व	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रु.प्रति हैक्ट.	समय समय पर वरिष्ठालय से प्राप्त निर्देशानुसार बीज वितरण अनुदान दिया जाता है।
2		जिप्सम/सल्फर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 750 रु.प्रति हैक्ट	
3		बायोफर्टीलाइजर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रु.प्रति हैक्ट	
4		पौध संरक्षण औषधि	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रु	
5		नीदा नाशक औषधि	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रु	
6		डीजल सिंचाई पंप	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 रु	
7		स्प्रिंकलर सेट	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 रु	
8		पाइपलाइन सेट	25 रु.प्रति लीटर अधिकतम 15000 रु	
9		सीडकम फर्टीलाइजर ड्रिल	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रु	
10		रोटावेटर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3500 रु	
11		मल्टीक्रॉपथ्रेसर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40000 रु	
12		स्रे पंप	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 600 रु	
13		मल्टीक्रॉपप्लान्टर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रु	
14		रिजफरो प्लान्टर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रु	
15		लेजरलेन्ड लेवलर	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 150000 रु	
16		ट्रेक्टर चलित स्रे पंप	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 रु	
17		शक्तिचलित स्रेअर पंप	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रु	
18	प्रमाणित बीज वितरण	दलहन फसल हेतु रुपये 2500 रु.प्रति.क्वि. गेहूँ फसल के लिये रु.1000 प्रति क्वि.		
19	बीज ग्राम योजना	बीज वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान गेहूँ पर एवं दलहन,तिलहन पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।	
20	सूखधारारा	बीज वितरण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है	
21	अन्नपूर्णा	बीज वितरण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है	
22	आर.के.व्ही. वाय.	डीजल पंप	लघु एवं सीमान्त कृषकों 10000 रुपये प्रति पंप अनुदान दिया जाता है	
23		स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषकों 9800 रुपये प्रति पंप अनुदान दिया जाता है	
24		पाइपलाइन	लघु एवं सीमान्त कृषकों 25 रुपये प्रति मीटर अनुदान दिया जाता है।	
25		प्रजनक बीज	बीज उत्पादन संस्थाओं को 100 प्रतिशत	

26		बीज वितरण अनुदान	अनुदान दिया जाता है। गेहूँ बीज वितरण पर 800 रुपये प्रति क्वि.एवं चना बीज पर 1600 रु. प्रति क्वि.अनुदान दिया जाता है।
27		सहरिया विकास	सहरिया कृषको को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
28	आइसोपॉम योजना	स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषको 9800 रुपये प्रति पंप अनुदान दिया जाता है
29		पाईपलाइन	लघु एवं सीमान्त कृषको 25 रुपये प्रति मीटर अनुदान दिया जाता है।
30		प्रजनक बीज	बीज उत्पादन संस्थाओं को तिलहनी फसलो पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
31		बीज वितरण अनुदान	सरसो बीज वितरण पर 1000 रुपये प्रति क्वि.एवं सोयाबीन बीज पर 600 रु. प्रति क्वि. अनुदान दिया जाता है।
32	बलराम तालाब योजना	हितग्राही मूलक	अनुसूचित जाति के कृषको को लागत का 75 प्रतिशत एवं अधिकतम एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषको को लागत का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 80000 (लाख) रुपये का अनुदान दिया जाता है तथा अन्य श्रेणी के कृषको लागत का 40 प्रतिशत एवं अधिकतम 80000 (लाख) रुपये का अनुदान दिया जाता है
33	नलकूप खनन	राज्यपोषित	50 प्रतिशत अधिकतम 40000 सभी वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु।
34		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	50 प्रतिशत अधिकतम 40000 सामान्य वर्ग हेतु।
35	गोबर गैस	टॉपअप अनुदान	समस्त वर्ग के कृषको को निर्धारित राशि प्रति संयंत्र निर्माण होने पर 2500 टॉपअप अनुदान दिया जाता है


 for उप संचालक
 किसान कल्याण तथा कृषि विकास
 जिला शिवपुरी


 संचालक
 (समन्वय)

पत्रिका 1
 पृष्ठ 16-2 तक

अनुभागी अधिकारी
 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
 मंत्रालय, भोपाल